

**कार्यालय,
सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।**

संख्या- प्राशिप/परिषद सम्बद्धता/2020/1971

लखनऊ दिनांक: 15-9-2020

- कार्यालय ड्राफ्ट -

अधिकांश भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/फार्मसी कार्यालय लोक इन्डिया, नई दिल्ली द्वारा सैक्रिक सत्र 2020-21 हेतु डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के तत्पश्चात् प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 14-8-2020 को अध्यक्ष, प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० लखनऊ की अध्यक्षता में परिषद कार्यालय में बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2020-21 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता/पूर्व से संचालित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/पाठ्यक्रम/प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य नवीं वन विचार करती हुए सत्र 2020-21 हेतु सम्बद्धता प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

उक्त के अनुक्रम में सम्बद्धता समिति की बैठक के सप-3 में विप्लोमा इन फार्मसी पाठ्यक्रम संचालित करने वाली पूर्व से सम्बद्ध संस्थाओं का प्रकल्प रखा गया। सम्बद्धता समिति द्वारा यहन विचार-विमर्श का निम्नान्त निर्णय लिया गया :-

" निजी क्षेत्र में स्थापित डिप्लोमा इन फार्मसी पाठ्यक्रम संचालित करने वाली संस्थाएं, जो प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० लखनऊ से पूर्व से सम्बद्ध हैं, एवं सत्र 2020-21 हेतु पी०सी०आई० द्वारा उन्हें यथावत् अनुमोदन विस्तार प्रदान किया गया है। इन संस्थाओं में पी०सी०आई० द्वारा प्रदान किये गये अनुमोदन विस्तार के अनुसार उनके नाम के सम्मुख अंकित पाठ्यक्रम/प्रवेश क्षमता के साथ सत्र 2020-21 हेतु परिषद से सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने पर समिति द्वारा विचार-विमर्श किया गया एवं सर्वसम्मति से पी०सी०आई० द्वारा प्रदत्त अनुमोदन विस्तार के अनुक्रम में सत्र 2020-21 हेतु परिषद से सम्बद्धता विस्तार दिये जाने का निर्णय लिया गया।"

दिनांक 14-08-2020 को आयुक्त सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये उपरोक्त निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ० प्र० लखनऊ द्वारा सत्र 2020-21 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं प्रवेश क्षमता प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है :-

क्र. सं.	संस्था का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	पी०सी०आई० द्वारा सत्र 2020-21 में अनुमोदित प्रवेश क्षमता	पी०सी०आई० /परिषद द्वारा सत्र 2020-21 में अनुमोदित प्रवेश क्षमता	
1	संस्था	समाधान उद्वेग लोक फार्मसी, मुक्तिपुर गाजीपुर।	डिप्लोमा इन फार्मसी	50	50

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था ए०आई०सी०टी०आई०/पी०सी०आई० द्वारा निर्धारित की गयी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1982 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमकारी 1982 संशोधन विनियमकारी-2018 तथा अन्य विहित विधियों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षीय इन्टींग पाठ्यक्रमों हेतु ₹० 30,100.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय फार्मसी पाठ्यक्रम हेतु ₹०-48,000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय फार्मसी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु ₹०-22,500/-

(Handwritten Signature)

03) प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रयोग प्राप्त/समाप्त से प्राप्त किया जायेगा; उपरोक्त की अतिरिक्त प्राप्त/प्राप्तवाही से शुल्क के सम्बन्ध में समस्त-समस्त पर हासिल द्वारा निर्गत किये जाने वाले साक्षात्देस अन्वेषी होयें, और तदनुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। वीस निदेशक समिति द्वारा यदि सत्र 2020-21 हेतु बीस का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो बीस की सटीकता एवं लागू होगी।

- ✓ संस्था को (सकल) प्राथमिक शिक्षा समितियों तथा उच्च समितियों, संस्थाओं को सम्बद्ध किया जाना) विनियमवली-2020 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आवेदित छात्रों को ही प्रवेश दिया जायेगा। शीटों के लिए यह करने की विधि में उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ संस्था को समस्त-समस्त पर निर्गत साक्षात्देस के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्था को एम.आई.एन.ए.आई. / पी.सी.आई.ए. से आनागी सत्र हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश शासन द्वारा बनये गये विधि/विधियों/अविनियमों/साक्षात्देसों/निर्देशों एवं निदेशक, प्राथमिक शिक्षा-2020, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, 2020 तथा प्राथमिक शिक्षा परिषद, 2020 द्वारा बनये गये निर्देश, विनियमों, आवेदों, निर्देशों का पालन करने के लिये बाध्य होगी।
- ✓ विधायक इस कार्यवाही पाठ्यक्रम की संशोधन यदि पौ.सी.आई. नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त करने में असमर्थ रहती है तो इस संबंध में समस्त उत्तरदायित्व संस्था का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राथमिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राथमिक शिक्षा निर्देशालय एवं प्राथमिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन को कोई अन्तःकार्य किया जाता है तथा उत्तर सत्र के संबंध में न. न्यायपालिका द्वारा किसी प्रकार की अतिपूर्ति संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो समस्त अतिपूर्ति संबंधित संस्था को करनी होगी।
- ✓ विधायक इस कार्यवाही पाठ्यक्रम संशोधित करने वाली संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा प्रत्येक वर्ष के लिए आवेदित प्रवेश परीक्षा हेतु कार्यान्वितन प्रारंभ होने के पूर्व पी.सी.आई.ए. से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यालय को उपसक्त करना होगा अन्यथा उन्हीं प्रवेश की (कार्यान्वितन के बाध्यता से अथवा संस्था स्तर पर सीधे प्रवेश) अनुमति नहीं प्रदान की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु निर्गत नवीनतम आयोग विधियों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक पुरिस्ति, स्टाम्प, साज-सज्जा, उपकरण, प्राप्त किया जाने वाला शुल्क, छात्रावास शुल्क आदि का विवरण उपसक्त करना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-प्रतिष्ठान हेतु उद्योगिक पाठ्यक्रम उपसक्त करने के साथ वैश्व टैकनॉलॉजी के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में असाक्षित/संशोधित पाठ्यक्रम को प्रारंभ करने हेतु निरीक्षण समिति को समस्त उपसक्त कराये गये अनियोजित, भूमि-नग्न, कार्यवाही, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम को संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो संस्था संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की अनुमति की जायेगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में निम्नानुसार अनुसंधानात्मक कार्यवाही की जायेगी।

(सा. आर.डी. सिंह)
सचिव

पुंरसो- प्राथम/परिषद सम्बद्धता/2020/ 1872-3141

तद दिनांक: 15-08-2020

पत्तिका-प्रधानाचार्य/निदेशक, राज्यर कॉलेज और कॉमर्स, मुजिफपुर, राजीपुर।

(सा. आर.डी. सिंह)
सचिव

✓ सम्बद्धता सारी का अनुयायक न किन्तु उन्हें अपना सारी का सम्बद्धता किन्तु उन्हें ही सिर्फ ही विषयसुम्मा
अनुयायकतात्मक कार्यकारी की अर्थवी।

(सुनील कुमार सोनकर)

सचिव

सूचना- सम्बद्धता सम्बद्धता 2021
3538-4809

दिनांक: 09/08/2021

संस्था-

सम्बद्धता सम्बद्धता RAMADHAR COLLEGE OF PHARMACY, VILL - NAIKOT, POST -
MUDYAR, GHAZIPUR - 233221



(सुनील कुमार सोनकर)

सचिव

को सम्मलेन कराई जाने और अनुसूचित जातों को आम आरक्षण होगा। वीस विद्यार्थी समिति का गठन 2021-22 हेतु बीस का पुनर्निर्माण किया जायेगा। जो बीस की लक्ष्यता ही लागू होगी।

- ✓ संघ को (उपरोक्त) प्रारम्भिक शिक्षा अधिनियम तथा उप अधिनियम, संघर्षों को संबद्ध किया जससे विविधताओं 2020 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संघ में अनुसूचित जातों परीक्षा परीक्षा द्वारा आवेदन करने को ही प्रवेश दिया जायेगा। शीर्ष में शिक्षा का जाने की विधि में अन्य जातों के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ संघ को समग्र समग्र पर निर्भर सम्मलेन में अनुसूचित विधियों एवं सम्बद्धता शुल्क आम करना होगा।
- ✓ संघ को सम्बन्धीयताओं/संघर्षों/संघर्षों/संघर्षों/संघर्षों एवं निर्देशक प्रारम्भिक शिक्षा, आर्य, अनुसूचित जात परीक्षा परीक्षा, उच्च तथा प्रारम्भिक शिक्षा परीक्षा, उच्च तथा उच्च गणित विभाग, विविधता, आदेशों, निर्देशों का पालन करने के लिए कार्य करेगी।
- ✓ विद्यार्थी इन कार्यवाही परीक्षाओं की संरक्षण यदि वे ही, अनुसूचित जातों में अनुसूचित जात करने में अक्षम रहते हैं तो इस संबंध में समस्त परामर्शपूर्ण सहायता का होगा और विधिगत रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए समस्त शक्ति उपलब्ध होगी। प्रारम्भिक शिक्षा परीक्षा, अनुसूचित जात परीक्षा परीक्षा, प्रारम्भिक शिक्षा निर्देशक एवं प्रारम्भिक शिक्षा विभाग द्वारा जात जात को अनुसूचित जात किया जायेगा तथा उच्च जात के संबंध में सा. सम्मलेन द्वारा किसी प्रकार की प्रतिस्पर्धा संबंधी निर्देशक किया जायेगा जो समस्त प्रतिस्पर्धी संबंधित सहायता को करेगी होगी।
- ✓ विद्यार्थी इन कार्यवाही परीक्षाओं का अधिकार करने वाली कार्यवाही को अनुसूचित जात परीक्षा परीक्षा, उच्च जात सम्मलेन द्वारा परीक्षा वर्ष के लिए आयोजित परीक्षा परीक्षा हेतु अनुसूचित जात करने के पूरे परीक्षा/संघर्ष में अनुसूचित जात कर परीक्षा सम्मलेन को सम्मलेन करना होगा अथवा उच्च जात की (सामन्वित) के माध्यम से समस्त समस्त स्तर पर ही प्रवेश, अनुसूचित जात जात की जायेगी।
- ✓ उच्च जात सरकार द्वारा परीक्षा हेतु निर्भर लक्ष्यता सम्मलेन विधियों का अनुपालन करके आरक्षण होगा।
- ✓ संघ को अपने वेबसाइट पर संघ की समस्त सूचनाएं जैसे संघ की ऐतिहासिक दृष्टि भूमि, स्तर, स्तर, स्तर, उपकरण, जल किया जाने वाला शुल्क, स्तर, स्तर, स्तर, स्तर का विभाग सम्मलेन करना होगा।
- ✓ संघ को शिक्षा/प्रशिक्षण हेतु उपयुक्त सामग्री उपलब्ध कराने के लिए रेडिओ, टीवी के सम्बन्ध में समस्त आरक्षण सम्मलेन सुनिश्चित कराने होगी।
- ✓ संघ को सुनिश्चित ही जे कि संघ में परामर्शपूर्ण सम्मलेन परीक्षाओं को करके जाने हेतु विविधता समिति के समस्त सम्मलेन करके गणित, भूमि, स्तर, स्तर, स्तर, स्तर, स्तर का यदि संघ द्वारा किसी अन्य परीक्षा के सम्मलेन में परीक्षा किया जायेगा। जो परीक्षा को जारी आरक्षण होगी है कि संघ उपरोक्त का परीक्षा किसी अन्य जात के लिए कर रही है तो सम्मलेन संघ की सम्बद्धता सम्मलेन किन्हीं जातों की अनुसूचित की जायेगी।
- ✓ संघ के राष्ट्रीय निर्देशक स्तर यदि संघ में भूमि, स्तर, परीक्षा, उपकरण एवं अन्य स्तर स्तर सम्बन्धीयताओं/संघर्षों/संघर्षों/संघर्षों के सम्मलेन सम्मलेन नहीं करेगा जस है तो संघ की सम्बद्धता सम्मलेन कर ही जायेगी।

संज्ञित

प्रतिष्ठान प्रतिष्ठित शिक्षा परिषद

इंटरमीडियेट

संख्या - प्रतिष्ठानपरिषद/सम्बद्धता/2021/3537

संख्या- दिनांक: 09/08/2021

कार्यालय द्वारा

प्रतिष्ठान भारतीय तत्काली शिक्षा परिषद, नई दिल्ली, भारतीय कायदा शाखा द्वारा प्रतिष्ठित, नई दिल्ली द्वारा संज्ञित संख्या 2021-22 हेतु विदेशीय तत्काली शिक्षा परिषदों को अनुमोदन पत्र प्रेषित किए जाने के उपरान्त प्रतिष्ठित शिक्षा परिषद, 3098, मन्दास से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार पत्र प्रेषित किए जाने हेतु दिनांक (18/08/2021) को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक आयोजित हुई। बैठक में समिति द्वारा संख्या 2021-22 हेतु अनुमोदन नई संस्थाओं को सम्बद्धता, पूर्व में अनुमोदन संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार, कार्यक्रम प्रवेश करना इदि तद्विषय अन्य नोटों का विचार कराते हुए संख्या 2021-22 हेतु सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार पत्र प्रेषित किए जाने का निर्णय किया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में निर्णय संकेतित सिलेबस के अनुसार में प्रवेश कराते को प्रतिष्ठित शिक्षा परिषद, नई दिल्ली द्वारा संख्या 2021-22 हेतु विस्तारित नोटों के अधीन कार्यक्रम एवं उनमें अंकित प्रवेश संकेत हेतु सम्बद्धता विस्तार पत्र प्रेषित की जाती है-

संस्था का कोड एवं नाम : 4056-RAMADHAR COLLEGE OF PHARMACY,VILL- NAIKOT,POST- MUDIYAR, GHAZIPOUR- 202221

संस्था	कार्यक्रम का नाम	संस्था/संज्ञित संख्या संज्ञित संख्या 2021-22 हेतु अनुमोदन प्रवेश संख्या	परिषद द्वारा संख्या 2021-22 हेतु अनुमोदन प्रवेश संख्या
1	DIPLOMA IN PHARMACY	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था संस्था/संज्ञित संख्या/संज्ञित संख्या द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था द्वारा प्रदेश प्रतिष्ठित शिक्षा परिषद संख्या 1992 तथा प्रतिष्ठित शिक्षा परिषद विदेशीय/संज्ञित संख्या 1992 के अंतर्गत विनियमन-2016 तथा अन्य विनियमन प्रदान की जाने वाली का अनुपालन करेगी तथा शुल्क विधिवत समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तथा वकील द्वारा पाठ्यक्रमों हेतु ₹0-30,150,00/- प्रति वर्ष, दो वर्षों के अंतर्गत पाठ्यक्रम हेतु ₹0- 45,000,00/- प्रति वर्ष एवं एक तथा दो वर्षों के पाठ्यक्रमों (दो वर्षों के अंतर्गत) पाठ्यक्रम के अतिरिक्त हेतु ₹0-22,500,00/- प्रति वर्ष शुल्क ही वकील द्वारा निर्धारित में प्रेषित किए जाते हैं। उपरोक्त के अतिरिक्त कार्यालयों में शुल्क के सम्बन्ध में प्रत्येक संस्था पर सख्त द्वारा निर्धारित किए जाते हैं।

- 1. The Government of India has decided to ...
- 2. The Government of India has decided to ...
- 3. The Government of India has decided to ...
- 4. The Government of India has decided to ...
- 5. The Government of India has decided to ...
- 6. The Government of India has decided to ...
- 7. The Government of India has decided to ...
- 8. The Government of India has decided to ...
- 9. The Government of India has decided to ...
- 10. The Government of India has decided to ...
- 11. The Government of India has decided to ...
- 12. The Government of India has decided to ...
- 13. The Government of India has decided to ...
- 14. The Government of India has decided to ...
- 15. The Government of India has decided to ...
- 16. The Government of India has decided to ...
- 17. The Government of India has decided to ...
- 18. The Government of India has decided to ...
- 19. The Government of India has decided to ...
- 20. The Government of India has decided to ...

(Signature)

12-1-2020

1-1-2020, 11:00 AM

1-1-2020, 11:00 AM

(Signature)

